FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम केकडी

कमला देवी पत्नि रतनलाल निवासी केकडी बनाम राज.सरकार जरिये तहसीलदार केकडी

किस्म मुकदमा 131 भू.राजस्व अधिनिय मु.नं. १३२ सन 2021 (/)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.11.2021	पत्रावली तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्तुत की गई । प्रकरण अन्तर्गत धारा 131 भू. राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया कमला देवी पत्नि रतनलाल पंवार जाति जीनगर निवासी केकडी द्वारा तहसीलदार केकडी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कस्बा केकडी के खसरा नम्बर 243 में से मुझ प्रार्थीया के नाम 0.13 है. भूमि कय की गई थी । जिसके ऑनलाईन नक्शें में रकबे के मुकाबले तरमीम कर दी है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र की जांच पटवारी/भूअभि.निरी. केकडी से करवायी गयी। जिसके अनुसार कस्बा केकडी के खसरा नम्बर 239 रकबा 0.43 किस्म बारानी 2 पर रतनलाल पुत्र मोहनलाल हिस्सा पूर्ण जाति मोची साकिन देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। खाता स. 30036 के खसरा नम्बर 9934/243 रकबा 0.13 है. किस्म बारानी 2 पर कमला देवी पत्नि रतनलाल हिस्सा पूर्ण खातेदार दर्ज है। खाता स. 3021 के खसरा नम्बर 9933/243 रकबा 0.27 है. बारानी 2 पर गिरधन गोपाल पुत्र मोहनलाल जाति मोची खातेदार दर्ज है। खसरा नम्बर 243 (मूल खसरा नम्बर)रकबा 0.40 है. से खसरा नम्बर 9933/243 रकबा 0.27 है. बारानी 2 पर गिरधर गोपाल, पुत्र मोहनलाल जाति मोची खातेदार दर्ज है। कस्बा केकडी के आराजी खसरा नम्बर 239रकबा 0.43 है. की रकबा बरारी की गई ,जो कि 0.36 है. आती है। यह जमाबन्दी के मुकावले 0.07 है. कम है। मूल खसरा नम्बर 243 रकबा 0.40 है. की रकबा बरारी की गई , यह 0.47 है. आती है। यह जमाबन्दी के मुकाबले 0.07 है. अधिक है। वर्तमान में मूल खसरा नम्बर 243 दा भागो में विभक्त हो चुका है। खसरा नम्बर 9933/243 रकबा 0.27 है. व 9934/243 रकबा 0.13 है. बने है। इस प्रकार खसरा नम्बर 239 की उत्तरी भुजा खसरा नम्बर 9934/243 में 0. 07 है. बढायी जा सकती है। खसरा नम्बर 9934/243 रकबा 0.13 है. की उत्तरी भुजा 9933/243 में 0.07 है.बढायी जा सकती है जिसकी प्रस्तावित दुरूस्ती कर नजरी नक्शा संलग्न किया है। प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार की जांच रिपोर्ट पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। खसरा नम्बर 9933/243 रकबा 0.27 है. व 9934/243 रकबा 0.13 है. बने है। .इस प्रकार खसरा नम्बर 239 की उत्तरी भुजा 9934/243 में 0.07 है. बढायी जाये। खसरा नम्बर 9934/243 रकबा 0.13 है. की उत्तरी भुजा 9933/243 में 0.07 है. बढायी जावें। जिसकी प्रस्तावित दुरूस्ती कर नजरी नक्शा संलग्न किया है, जिसे अनुमोनित किया जाता है। तहसीलदार केक्डी नक्शा दुरूस्ती की कार्यवाही नक्शा ट्रेस में करें। खर्चा फरिकेन अपना –अपना वहन करें। आदेश मजमें आम प्रशासन गांवो के संग [illegible] कमलेडा कृष्ण गोपाल में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी केकड़ी केकड़ी (अजमेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:27:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner